10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

360

R 1457-I-17

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण कं0 /....../16–17

श्री रामसेवक शर्मा, अधि. द्वारा आज दिनांक 24/5/17 को प्रस्तुत। 24/5/17

रामसेवक शर्मा 24-5-2016

1 रामा तनय परमानंद खगांर आयु 45 वर्ष

2 मख्खन तनय परमानंद आयु 60 वर्ष

निवासी ग्राम खेरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ म0प्र0

निगराकारगण / आवेदकगण

वनाम

1 रामकुवर पुत्री हरजुवा कलार पत्नि वलराम निवासी वडेरा तहसील मोट जिला झासी उत्तर प्रदेश

2 वति पुत्री परमानंद खगार पत्नि नन्नाई निवासी ग्राम हरपालपुर जिला छतरपुर म0प्र0

3 भुमानी पुत्री परमानंद पत्नि विदुवा खगांर निवासी ग्राम दोह तह. खरगापुर जिला टीकमगढ म0प्र0

4 रामकिशन संतोष वीरेन्द्र तनय कल्लू राय निवासी ग्राम कुडीला तह. खरगापुर जिला टीकमगढ म0प्र0

~~5 मध्यप्रदेश शासन~~

प्रतिनिगराकारगण / अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व सहिता 1959

निगरानी प्रतिकूल विद्वान अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी जतारा के राजस्व प्रकरण कं. 101 /अपील/2015–16 में पारित आदश दिनांक 15.05.2017 के विरूद्ध जिसमें धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन स्वीकार किया से छुब्ध होकर ।

महोदय जी,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1457-एक/2017 जिला टीकमगढ़ रामा विरूद्ध रामकुवर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 101/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 15-05-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 24-05-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 21-01-19
सदस्य